[17/12/2024] परिशिष्ट-अ (5)

प्रश्न सं. [क्र. 850]

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2000

क जी-16/1/2000/सी/चार राज्य शासन द्वारा विकास योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नुसार नियम बनाये जाते हैं:-

नियमों का नामः- ये नियम म.प्र. जन भागीदारी नियम, 2000 कहलायेगें।

प्रारंभ होने का दिनांकः- ये नियम दिनांक 15-8-2000 से प्रभावशील माने जायेगें।

उद्देश्यः- इन नियमों का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न विभागों के अंतर्गत विकास योजनाओं में जनभागीदारी श्चित करना है ताकि विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास संबंधी कार्यो में जनसहयोग का अंशदान प्राप्त हो व इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। साथ ही जनता उस संपत्ति को अपना मानकर उनका रक्षण/देखरेख के बारे में उत्तरदायी हो सके।

परिभाषायें:-

) शासनः- शासन से आशय म.प्र. शासन से है।

ii) निर्माण/विकास कार्यः- विकास कार्यो से आशय विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही निर्माण/विकास योजनाओं से है।

iii) अंशदानः- अंशदान से आशय किसी भी निर्माण कार्य के प्राक्कलन में वेष्ठित अंश के भाग से है। जिसमें मानव श्रम का अंशदान शामिल हैं।

iv) तकनीकी स्वीकृतिः तकनीकी स्वीकृति से आशय किसी भी प्राक्कलन में तकनीकी अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर पर प्राक्कलन की स्वीकृति से है।

v) प्रशासकीय स्वीकृतिः- प्रशासकीय स्वीकृति से आशय किसी भी प्राक्कलन में शासन द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से है।

vi) कलेक्टरः- से आशय जिले में पदस्थ कलेक्टर से है।

vii) नगरीय निकायः- नगरीय निकाय से आशय नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से है।

viii) पंचायतः- पंचायत से आशय जिला/जनपद/ग्राम पंचायत से है।

-2-

क्रियान्वयन का विस्तार:-   2

जन भागीदारी संबंधी नियम शासन के समस्त विभागों में लागू माने जायेंगे।

6.) राशि का अंशदान, संग्रहण एवं आवंटन की प्रक्रिया:-

ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा जनभागीदारी के अंतर्गत जिस कार्य को किया जाना है उसके औचित्य के साथ सर्वप्रथम संकल्प पारित किया जायेगा। संग्रहित राशि को पृथक से बैंक खाते में रखा जायेगा तथा जिन व्यक्तियों से राशि वसूली जायेगी उन्हें प्रपत्र-1 अनुसार पावती दी जायेगी तथा अपने कार्यालय में अंशदाताओं की पंजी प्रपत्र-2 अनुसार संधारित की जायेगी। योजना की पूर्ण राशि जमा करने पर इसकी सूचना कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को दी जायेगी। जनभागीदारी के अंशदान के रुप में मानव श्रम अथवा ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध संसाधनों (सामग्री दान) की गणना की जा सकेगी, बशर्ते निर्माण कार्य के प्राक्कलन में इसका स्पष्ट उल्लेख हो तथा वह गणना योग्य हो।

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत राशि जमा होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को शासन का अंशदान रिलीज किया जायेगा, परन्तु अंशदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र में 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। शासन के अंशदान में सांसद निधि, विधायक निधि, मंत्री स्वेच्छा अनुदान तथा इस उद्देश्य से अलग से प्रावधानित राशि का उपयोग किया जायेगा, परन्तु जनभागीदारी अंशदान में उपर्युक्त निधि शामिल नहीं किये जायेंगे।

अंशदान की स्वीकृति की जानकारी प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर प्राथमिकता क्रम में शासन के अंशदान की राशि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को जिलाध्यक्ष द्वारा रिलीज की जावेगी। स्वीकृति का प्रारूप प्रपत्र-3 अनुसार आदेश जारी किया जायेगा तथा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी भी अपने कार्यालय में ऐसी स्वीकृतियों की पंजी प्रपत्र-4 अनुसार संधारित करेगा।

7. जनभागीदारी नियमों के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनायें:-

इन नियमों के अंतर्गत मुख्यत: ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनायें ली जायेगी, अथवा ऐसी योजनायें जो ग्रामवासियों के लिये जनोपयोगी है। परन्तु धार्मिक स्थलों का निर्माण, चौपाल आदि का निर्माण अथवा व्यक्ति अथवा समूह विशेष के लाभ संबंधी कोई योजना को नहीं लिया जा सकेगा। ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिन में गरीब तबके/अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ हो।

8. योजना का क्रियान्वयन:-

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय योजना का क्रियान्वयन सक्षम स्तर पर तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करेंगे। यदि योजना समिति का अनुमोदन भी आवश्यक हो तो कलेक्टर के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करें। प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना का क्रियान्वयन निर्धारित राशि एवं समयसीमा में पूर्ण हो।

9. पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण एवं संधारण:-

शासन द्वारा आवश्यक समझने पर जनभागीदारी से बनाई गई योजनाओं का संधारण भी पंचायतों/स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा। शासन द्वारा ऐसी योजनाओं के संधारण हेतु किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं होगी।

...दानी से ...नाई गई सम्पत्ति पर राज्य शासन का स्वामित्व होगा तथा ऐसी संपत्ति का विक्रय/हस्तांतरण होगा, जैसे कि शासकीय सम्पत्ति का होता है।

योजनाओं का अनुश्रवण:-

किसी योजना के लिये संग्रहित अंशदान तथा उसके आधार पर क्रियान्वित योजनाओं जिनमें चालू एवं पूर्ण हों, के कार्यों की प्रगति की समीक्षात्मक जानकारी समय-समय पर संबंधित स्थानीय निकाय/पंचायत अपनी सभा में वर्ष में कम से कम 2 बार प्रस्तुत करेगी ताकि निर्माण कार्य में हुई व्यय राशि व संग्रहित अंशदान की जन सामान्य को ज्ञात हो सके।

आडिट/लेखा संधारण:-

पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा संग्रहित राशि का आडिट और लेखा संधारण शासकीय प्रक्रिया अनुसार किया तथा सक्षम एजेन्सी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार ही इन लेखों का आडिट किया जावेगा।

निर्वचन:-

जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे विनिश्चित करने के लिये शासन के नाम को संदर्भित किया जावेगा।

शिथिल करने की शक्तियां:-

जहां शासन का समाधान हो कि इन नियमों के किसी नियम के क्रियान्वयन से किसी विशेष प्रकरण में ...यक अवरोध उत्पन्न होता है तो ऐसे कारणों से जो लेखाबद्ध किये जावेंगे, राज्य शासन आदेश द्वारा न्यायसंगत ...यकपूर्ण रीति से किसी प्रकरण को निपटाने के लिये उस सीमा तक और उन अपवादों और शर्तों के अध्यधीन, ...ं आवश्यक समझा जाय, इस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त अथवा शिथिल कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(विनोद ढाल)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग